रजिस्टर्ड

संख्या–~~1266~~1273/9–9–19– 123ज/11

प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**नगर विकास अनुभाग–9** **लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2019**

**विषय–** अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पंचायत के वेतन भुगतान हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगर पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि में से समानुपातिक रूप से कटौती कर जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–3/1050/23–सा0 अ0अ0न0पं0–वेतन/2019, दिनांक–28.06.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पंचायत के वेतन भुगतान हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगर पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि में से कटौती कर सीधे जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत के बैंक खाते में अंतरित किये जाने हेतु निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0–455/नौ–1–2019–300स0/18, दिनांक–14.03.2019 को अवक्रमित कर निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:–

*अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पंचायत के वेतन भुगतान हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संबंधित जनपद की नगर पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि में से स्थानीय निकाय निदेशालय स्तर पर कटौती कर अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पंचायत के तैनाती स्थल, (जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत) के बैंक खाते में धनराशि सीधे अंतरित कर दी जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पंचायत, जनपद की सभी नगर पंचायतों के कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।*

कृपया उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**( मनोज कुमार सिंह )**
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। (द्वारा–निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ)।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग–01/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग–01।
5– गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

**( राधे कृष्ण )**
संयुक्त सचिव।